अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1483(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.03.1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 193(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''अंध कल्याण केंद्र (कल्याण केंद्र के पीछे), 20, नवरूप कालोनी, शांति नगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380013, गुजरात'' द्वारा ''गांव रानिप, जिला अहमदाबाद, गुजरात में अंध कल्याण केंद्र के निर्माण, उपस्कर, साज-समान और चलाने'' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था ; जिसे दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 316(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 24 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं. का. आ. 1111(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 5 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ 1000(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 को प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ 235(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया था और जिसे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1077(अ) द्वारा विस्तारित वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाले तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सत्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "अंध कल्याण केंद्र (कल्याण केंद्र के पीछे), 20, नवरूप कालोनी, शांति नगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380013, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "गांव रानिप, जिला अहमदाबाद, गुजरात में अंध कल्याण केंद्र के निर्माण, उपस्कर, साज-समान और चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 105.97 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और निदेश देती है कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 समाप्त हो चुका है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धारा 35 क ग के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं.137/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना,उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)